UPAG010055892026

**न्यायालय सत्र न्यायाधीश, आगरा।**

**दाण्डिक प्रकीर्ण वाद संख्या–465/2026**

**जितेन्द्र सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य**

**दिनांकः–29.07.2026**

आज यह पत्रावली आदेशार्थ पेश हुई। विगत दिनांक पर प्रार्थनापत्र 3ब पर आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तथा विपक्षी संख्या–1 राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, दाण्डिक व विपक्षिया संख्या–2 के विद्वान अधिवक्ता को सुना जा चुका है, आदेश हेतु पत्रावली का अवलोकन किया।

आवेदक की ओर से प्रार्थनापत्र 3ब अन्तर्गत धारा–5 मियाद अधिनियम संक्षेप में इस आशय से प्रस्तुत किया गया है कि विद्वान अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायालय संख्या–08, आगरा द्वारा परिवाद संख्या–20168/2024 श्रीमती ज्ञानवती बनाम संजय आदि में पारित आदेश दिनांकित 25.03.2025 के माध्यम से आवेदक/विपक्षी के साथ–साथ अन्य विपक्षीगण को भी विचारण हेतु जरिए समन तलब किया गया था, जिसकी सूचना आवेदक को पुलिस के माध्यम से हुई। तत्पश्चात आवेदक द्वारा अधिवक्ता के माध्यम से पत्रावली का अवलोकन कराया गया तथा आलोच्य आदेश की सत्यप्रतिलिपि हेतु दिनांक 14.05.2026 को आवेदन किया गया जो दिनांक 15.05.2026 को प्राप्त हुई। निगरानी योजित करने में आवेदक द्वारा जानबूझकर कोई विलम्ब कारित नहीं किया गया है। विलम्ब को क्षमा किये जाने की याचना की गई है। समर्थन में शपथपत्र 4ब प्रस्तुत किया गया है।

विपक्षिया संख्या–2 की ओर से लिखित आपत्ति 15ब प्रस्तुत करते संक्षिप्तः कथन किया गया है कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र में यह उल्लिखित नहीं किया गया है कि उसको पुलिस के माध्यम से कब और कहां सूचना प्राप्त हुई तथा न ही यह अंकित किया गया है कि प्रश्नगत वाद की जानकारी उसे पूर्व में थी या नहीं। प्रश्नगत आदेश के सन्दर्भ में पत्रावली का अवलोकन कब कराया गया, यह भी अंकित नहीं है। आवेदक को प्रश्नगत वाद की जानकारी आलोच्य आदेश के पारित होने से पूर्व से है, आवेदक को संबंधित न्यायालय द्वारा पूर्व में धारा–223(2) बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत नोटिस भेजा गया था जिसमें द्वारा उपस्थित होकर अपनी आपत्ति प्रस्तुत की गई थी। आवेदक को सन्दर्भित वाद में सम्बन्धित न्यायालय द्वारा समन जारी किये गये, परन्तु आवेदक जानबूझकर सम्बन्धित न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ। चूंकि आवेदक को विभिन्न माध्यमों से हुई सूचना की तामील रिपोर्ट का पृष्ठांकन है, तब यह नहीं कहा जा सकता कि आवेदक को प्रश्नगत वाद की जानकारी नहीं थी। आवेदक द्वारा करीब 14 माह के विलम्ब का कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया है। इन तथ्यों के आधार पर आवेदक की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र को मय हर्जा निरस्त करने की प्रार्थना की गई है।

प्रपत्रों के अवलोकन से विदित होता है कि आलोच्य आदेश दिनांकित 25.03.2025 के विरूद्ध यह कालबाधित निगरानी, प्रार्थनापत्र 3ब अन्तर्गत धारा–5 मियाद अधिनियम के साथ, दिनांक 18.05.2026 को योजित की गई है। प्रपत्रों के अवलोकन से यह भी विदित होता है कि आवेदक द्वारा आलोच्य आदेश की जानकारी होने पर उसके द्वारा सत्यप्रतिलिपि प्राप्त करने हेतु दिनांक 14.05.2026 को आवेदन प्रस्तुत किया जो दिनांक 15.05.2026 को प्राप्त हुई। तत्पश्चात दिनांक 18.05.2026 को निगरानी मय प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा–5 मियाद अधिनियम लगभग एक वर्ष के विलम्ब से प्रस्तुत की गई है। विलम्ब के सम्बन्ध में आवेदक की ओर से प्रार्थनापत्र 3ब में यह आधार लिया गया है कि उसे पुलिस के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई थी, तत्पश्चात अधिवक्ता के माध्यम से पत्रावली का अवलोकन कराया तथा प्रश्नगत आदेश की सत्यप्रतिलिपि प्राप्त की गई, आवेदक की ओर से निगरानी योजित करने में जानबूझकर कोई विलम्ब कारित नहीं करना कहा गया है। तथापि यह भी तथ्य है कि आवेदक द्वारा विधिक उपचार प्राप्त करने में पर्याप्त विलम्ब किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप विपक्षिया संख्या–2 को अनावश्यक असुविधा, समय एवं व्यय वहन करना पड़ा। यद्यपि विपक्षिया संख्या–2 की ओर से अपने जवाब के माध्यम से उक्त प्रार्थनापत्र का विरोध किया गया है, तथापि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा विधि व्यवस्था **M/S Raghu Forwarding and others versus Union of India 2002 (49) ALR 667 (Allahabad),** में यह विधि सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि विलम्ब माफ करने के सम्बन्ध में न्यायालय को बहुत तकनीकी दृष्टिकोण न अपनाते हुए, उदारतापूर्ण दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। जहां तक विपक्षिया संख्या–2 को हुई असुविधा का प्रश्न है तो उसकी क्षतिपूर्ति हर्जे की अदायगी के माध्यम से कराई जा सकती है।

तदैव प्रार्थनापत्र 3ब सशर्त स्वीकार किये जाने योग्य है।

## आदेश

प्रार्थनापत्र 3ब अन्तर्गत धारा–5 मियाद अधिनियम मु0–2,000/–रु0 (दो हजार रुपये) हर्जे की अदायगी की शर्त पर स्वीकार किया जाता है। हर्जा एक सप्ताह के भीतर अदा हो जाने की दशा में ही परिवाद संख्या–20168/2024 श्रीमती ज्ञानवती बनाम संजय आदि में पारित आदेश दिनांकित 25.03.2025 के विरूद्ध निगरानी योजित करने में हुई देरी को क्षमा समझा जायेगा।

यह प्रकीर्ण वाद तद्नुरूप अन्तिम रूप से निस्तारित किया जाता है।

आवश्यक कार्यालय प्रतिपूर्तियों के उपरान्त दाण्डिक निगरानी की पत्रावली अंगीकरण के बिन्दु पर सुनवाई हेतु दिनांक 07.08.2026 को पेश हो। इस प्रकीर्ण वाद की पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर की जाये।

**( संजय कुमार मलिक )**
सत्र न्यायाधीश,
आगरा।

दिनांक : 29.07.2026

Digitally signed by SANJAY KUMAR MALIK
Date: 2026.07.29 17:34:06 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court